

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-16/ए.3-03/2015

/(आ0चि0)पटना, दिनांक-

स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 535(आ0चि0) दिनांक 10.04.2019 द्वारा राज्य में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत आयुष के शैक्षणिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार नियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को संसूचित किया गया था को इस हद तक संशोधित किया जाता है-

(1) स्वास्थ्य विभागान्तर्गत आयुष के शैक्षणिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार नियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा वित्त विभागीय अधिसूचना 6745 दिनांक 30.07.2015 के अनुसार होगी।

(2) स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 535(आ0चि0) दिनांक 10.04.2019 के कंडिका 1(क) एवं (ख) में नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृत्ति के स्थान पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति पढ़ा जाय।

शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/ए.3-03/2015-706(आ.चि.)पटना, दिनांक :- 23.5.2019

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार, गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी0डी0 के साथ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- महालेखाकर, (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज, पटना, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर/दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधितों को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


22.5.19
सरकार के अवर सचिव